

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II — Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकारं से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 1874] No. 1874] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2009/कार्तिक 22, 1931 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2009/KARTIKA 22, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2009

का.आ. 2892(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार तत्कालीन के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधि सूचना संख्यांक का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसचना की अनुसूची में, क्रम सं. 24 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"25. राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2ख, सं. 6 [0.0 कि.मी. से 136.100 कि.मी. (कोलकाता से खड़गपुर को छोड़कर)], सं. 31 [(447.000 कि.मी. से 470.000 कि.मी. और 476.150 से 566.00 कि.मी. (इलखोला से सिलिगुड़ी के समीप शिव मंदिर) को छोड़कर], सं. 31ग [228.00 कि. मी. (सलसालाबाड़ी) से 254.500 (संकोष) को छोड़कर], सं. 32, सं. 60 [खड़गपुर से रानीगंज का भाग और राजमार्ग से रा.रा. 2 रानीगंज के समीप पांडवेसवरा-डुबराजपुर-सुईरी के जंक्शन तथा मोरग्राम के समीप रा.रा. 34 पर इसके जंक्शन पर समाप्ति पर का भाग], सं. 80 और सं. 81 पश्चिमी बंगाल राज्य के भीतर रा.रा. 35, सं. 55, सं. 60क और सं. 117 [0.0 कि.मी. से 7.16 कि.मी. (कोना एक्सप्रेसवे से आरंभ) तथा 21.80 कि.मी. से 137 कि.मी. जोका से बक्खाली]

पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार ।''

[फा. सं. एनएच-14013/3/2007-पीएंडएम]

प्रभाकर, उप-सचिव

पाद टिप्पाः :—मूल अधिसूचना का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ. 1290(अ), तारीख 20 मई, 2009 द्वारा उसका अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2009

S.O. 2892(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 namely:—

In the Schedule to the said notification, for serial number 25 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"25. National Highways No. 2B, No. 6 [excluding from Km. 0.0 to Km. 136.000 (from Kolkata to Kharagpur)], No. 31 [(excluding from Km. 447.000 to Km. 470.000 and from Km. 476.150 to Km. 566.00 (Dalkola to Shiv Mandir near Siliguri)], No. 31C [excluding from Km. 228.00 (Salsalabari) to Km. 254.500 (Sankosh)], No. 32, No. 60 [portion from Kharagpur to Raniganj and the highway starting from its junction with NH 2 near Raniganj connecting Pandaveswara-Dubrajpur-Suiri and terminating at its junction with NH 34 near Moregram], No. 80 and No. 81 as are situated within the State of West Bengal and National Highways No. 35, No. 55, No. 60A and No. 117 [from Km. 0.0 to Km. 7.16 (begining of Kona Expressway) and Km. 21.80 to Km. 137 from Joka to Bakkhali].

State Government of West Bengal."

[F. No. NH-14013/3/2007-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot Note:—The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 1290(E), dated the 20th May, 2009.